संख्या 2974/77-6-2003-41टैक्स/01

प्रेषक,

राकेश गर्ग
सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
उ0प्र0 उद्योग निदेशालय
कानपुर।

औद्योगिक विकास, अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2003

विषय :-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 3806/77-6-2002-41 टैक्स/01 दिनांक 11 मार्च, 2003 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित ऐसी नई मेगा इकाइयां जिनमें रू0 10 करोड़ या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो, बुन्देलखण्ड व पूवांचल में स्थाई होने वाली सभी ऐसी नई मेगा औद्योगिक इकाइयां जिनमें रू.10.00 करोड़ या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो, खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित इकाइयों को छोड़कर शेष जनपदों में स्थापित होने वाली अन्य सभी ऐसी नई मेगा औद्योगिक इकाइयों जिनमें रू.25 करोड़ या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो, को नए पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए संलग्न नियमावली की शर्तों व निर्बन्धों के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष पश्चात देय होगा।

3. यह योजना पिकप तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाईयों में आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

Sd/-

(राकेश गर्ग)
सचिव

संख्या 2974(1)/77-6-2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त व्यापारकर विभाग

2. प्रमुख सचिव, व्यापारकर विभाग

3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम तथा प्रबन्ध निदेशक पिकप को इस आश्य से प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश के जनपदों को उक्त योजना की जानकारी भी प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

5. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4

6. कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Sd/-

(सुरेश चन्द्रा)
विशेष सचिव

औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या : 3090/77-6-03-41**(टैक्स)**01
लखनऊः दिनांक : 6 नवम्बर, 2003

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्याः3806/77--6-2002-41 (टैक्स)/01, दिनांक मार्च 11, 2003 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में मेगा इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः** 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 कही जाएगी।
1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
1(3) यह दिनांक नवम्बर 6, 2003 से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं**
क. 'बिक्री की प्रथम तिथि' का तात्पर्य चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित, नये पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से है।
ख. 'पूँजी निवेश' का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत् परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि दिनांक 11.3.03 को या उसके बाद पड़ती हो।
ग. 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो।
घ. 'मेगा इकाई' का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयों से है :-
(i) खाद्य प्रसस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड या अधिक का पूँजी निवेश किया गया होय
(ii) पूर्वाचंल व बुन्देलखण्ड में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ जिनमें 10 करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया य
(iii) अन्य जनपदो में स्थापित सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयॉ जिनमें 25 करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो।
ड. पूर्वांचल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों से है।
च. बुन्देल खण्ड का तात्पर्य अनुलग्नक-2 में उल्लिखित जनपदों से है।
छ. 'वार्षिक विक्रय धन' का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की दिनांक 01 अप्रैल अथवा, यथास्थिति, बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रिम 31 मार्च की अवधि में, की गयी बिक्री से है।
ज. पिकप का तात्पर्य दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट

कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सरकारी कम्पनी है।

झ यू.पी.एफ.सी. का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।

ञ. 'ऋण वितरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को चेक उपलब्ध करा दिया जाय।

ट 'ऋण भुगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाय।

ठ. 'वर्ष' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

3 <u>ब्याज मुक्त ऋण की अवधिः</u> पात्र इकाइयों द्वारा नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।

4 <u>ऋण की सीमाः</u> किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर 5(4) के प्राविधान के अनुरूप होगी जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

5 <u>ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रियाः</u> 5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियॉ पिकप/यू.पी.एफ.सी. को देगीं। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयॉ ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगीं तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।

5(2) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर प्रस्तर5(4) के प्राविधानों के अनुसार आगणित धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेगें।

5(3) प्रबन्ध निदेशक पिकप / यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुये इकाई को अग्रिम एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विरुद्ध इकाई सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है जिस पर निर्णय प्रस्तर-12 में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जाएगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश

व्यापार-कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

रुपये (करोड़ में) सारिणी (परिकल्पित ऑकड़े)

.		पूँजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूँजी निवेश /वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	ब्याज मुक्त ऋण (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में)
		10.00	10.00 या कम	10 : 10 या उससे कम	5ग10/10त्र5:
		10.00	12.00	10 : 12	5ग12 /10त्र6:
		10.00	15.00	10 : 15	5ग15 /10त्र7.5:
		10.00	20.00 या अधिक	10 : 20	5ग20 /10त्र10:

5(5) ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात ऋण भुगतान की अंतिम तिथि के अगले 5 वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जाये इस हेतु व्यवस्था एम.ओ.यू. के माध्यम से पिकप / यू.पी.एफ.सी. द्वारा की जायेगी।

5(6)पिकप/यू.पी.एफ.सी. ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेंगे। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुनदेलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू0पी0एफ0सी को उपलब्ध करायेंगे।

5(7) पिकप/यू.पी.एफ.सी. को स्वीकृत ऋण राशि लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा बाद में आवंटित किया जाएगा।

5(8) प्रत्येक वर्ष वसूल हुये ऋण तथा ब्याज को उसी वर्ष में उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।

5(9)औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

5(10) वितरित किये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी. एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी।

5(11)निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई को देरी की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अथवा उसके भाग को इस हेतु एक माह माना जायेगा।

5(12)ब्याज मुक्त ऋण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई

द्वारा वापस की गई धनराशि का मुजरा पहले मूलधन में किया जाएगा। उसके पश्चात अवशेष धनराशि का मुजरा देय ब्याज, यदि कोई हो, में किया जाएगा।

5(13) पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों पर पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेंगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुये द्वितीय चार्ज़ के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त ज़मानत अथवा पर्सनल-बॉण्ड मांग सकते हैं।

5(14) निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को कारण बताओं नोटिस देंगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरूद्ध बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु **'वसूली प्रमाण-पत्र'** जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद भी दायर करेगें या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेगें व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उसकी वाइन्डिंग-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेगें।

5(15) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई की फैक्ट्री, दुकान, गोदाम वाहन तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तो का उल्लंघन तो नही किया जा रहा है।

5(16) इस योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाइयों को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य एवं केन्द्र सरकार के भुगतान में वितिथि (डिफॉल्टर) न हों तथा इस संबध में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

6 प्रतिबन्ध — पात्र इकाई पर प्रतिबंध होगा कि वह बिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के कॉन्स्टीट्यूशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्तियों को बेचेगी, किराये पर देगी या परिसम्पत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेगी।

7 शर्त-6 के उल्लघंन का प्रभाव — यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. को इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश की प्राप्ति तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जायेगी। अवशेष ऋण के भुगतान में देरी की दशा में पात्र इकाई ऋण देय होने की तिथि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज की देनदार होगी।

8 पात्र इकाई के दायित्व — ऋण देयता की अवधि में, पात्र इकाई के लिये निम्नलिखित व्यवस्था आवश्यक होगी :-

I. उन सभी अनुबन्ध तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा जो पिकप/यू.पी.एफ.सी के मतानुसार आवश्यक हो।

II. वह सभी सूचनायें पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायी जायेंगी,

जो उनके द्वारा अपेक्षा की जायें।

9	न्यायालय के क्षेत्राधिकार	किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ में स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को ''अण्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग'' से भेजी गयी सूचना/ नोटिस आदि विधिवत् तामील मानी जायेगी।
10	व्यय भार	ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।
11	अनुबन्ध	इस नियमावली के प्रतिबंध / प्राविधान लागू करने के लिये पात्र इकाई पिकप / यू.पी.एफ.सी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित करेगी।
12	समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण	i. इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। ii. इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण सचिव औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे- क. सचिव, वित्त ख. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु। ग. प्रबन्ध निदेशक, पिकप। घ. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

आज्ञा से,

Sd/-

(राकेश गर्ग)
सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग